तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/01/2020	पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को की गई बहस, प्रासंगिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। न्यायालय की राय में प्रतिवादी संख्या। की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 15 अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित है। फलतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 15 सीपीसी तद्द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा नामंजूर किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथकतः लिखाया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 15/01/2020 (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.05 11:22:50 IST
Reason: SelfAttested